अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
NAACA++ Accredited: ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांकः–रू0वि0/रासेयो/2025/ 1158-1163 दिनांकः–18.01.2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/कार्यक्रम अधिकारी,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (रा0से0यो0),
महा0ज्यो0फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः–दिनांक 17.09.2024 से 02.10.2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम हेतु धनराशि निर्गत सम्बन्धी।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय लखनऊ के पत्र संख्या स0 15–01/रा0से0यो0/क्षेनि/लख/2024–25/9710–9733, दिनांक 16 जनवरी, 2025, पत्रांक सख्याः–रू0वि0/रा0से0यो0/2024/478–484, दिनांक 25.09.2024 एवं पत्रांक संख्याः–रू0वि0/रा0से0यो0/2024/590–595, दिनांक 23.10.2024, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दिनांक 17.09.2024 से 02.10.2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए **My Bharat Portal** पर पंजीकृत संस्थाओं को क्षेत्रीय निदेशक रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ द्वारा दिनांक 25.09.2024 को धनराशि (संलग्न विवरण अनुसार) प्रेषित की जा चुकी है। दिनांक 17.09.2024 से 02. 10.2024 तक कार्यक्रम आयोजन के पश्चात् अपने–अपने महाविद्यालयों के प्राचार्य/रा0से0यो0 कार्यक्रम अधिकारी से प्रमाणित व्यय की गयी धनराशि के **बिल वाउचर, लेखा विवरण, कार्यक्रम आख्या/रिपोर्ट (फोटो ग्राफ्स एवं पेपर कटिंग सहित)** तथा धनराशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए इस कार्यालय को दिनांक 03.10.2024 एवं 26.10. 2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। किन्तु अभी तक ज्यादातर महाविद्यालयों द्वारा उक्त बिल वाउचर आदि इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराये गये हैं यह एक चिन्ता का विषय है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार दिनांक 22.01.2025 तक उक्त बिल वाउचर आदि तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अगर जिन महाविद्यालयों द्वारा धनराशि के बिल वाउचर, लेखा विवरण, कार्यक्रम आख्या/रिपोर्ट (फोटो ग्राफ्स एवं पेपर कटिंग सहित) तथा धनराशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र उक्त दिनांक तक उपलब्ध नही कराये जाते हैं। उस महाविद्यलयों को अवशेष बची धनराशि प्रतिपूर्ति क्षेत्रीय निदेशक रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ द्वारा प्रेषित नही की जायेगी। और उक्त के अभाव में पूर्व में आवंटित धनराशि भी वापस ली जा सकती है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

संलग्नकः उक्तवत्

भवदीय

प्रो0 सोमपाल सिंह
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित कोसूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव के संज्ञानार्थ।
3. राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. बेवसाइट प्रभारी को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना